

प्रेषक,

दशरथ राम
विद्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-११००९२

पटना, दिनांक


विषय : सुशीला शैक्षणिक संस्थान, रीटी, भूबनी को अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सुनिश्चित करना है कि सरलाही अधिसूचना संख्या-२३८ दिनांक-०३.०४.२००६ के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी भूबनी से प्राप्त जाँच प्रतिदेवन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजाल की सभीला अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा सुशीला शैक्षणिक संस्थान, रीटी, भूबनी को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से जारीहता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुरोध की गयी है।

समिति की अनुसंधा के आलोक में इन्होंपरान्त नियति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय मौ ताता काशीनाथ शैक्षणिक संस्थान के अधीन संचालित है। इस द्रष्टव्य में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्योरा दिया गया है तथा उपर्युक्त पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य नियंत्रित सोसाइटी/न्यास के फैन्चाइजी अधिक विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को २ बीघा ४ कड़ा भूमि ३५ वर्गों के लोड पर उपलब्ध है। विद्यालय को पशुपति उपस्थित पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सदस्य निरोक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुसर है।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में १४ शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०. नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रतिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुसर है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा नियांत्रित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अवैधानिक तथा वार्षिक श्रतिवदन श्रतिवदन सार्वजनिक करने का आख्यासन दिया गया है। विद्यालय अपने आख्यासन के अनुसर लारेंगां ह कर इसे सी० बी० एस० ई०. नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे शिक्षार्थी अधिनिवन संख्या-२३८, दिनांक ०३.०४.२००६ में उल्लेखित अपेक्षित राते स्वीकार है।


Principal

- (i) विद्यालय में इन्होंने का 25 प्रतिशत नामांकन एडोस में नियम से बाते परिवार के बच्चों का नि: सुन्तुलित जिया जायेगा तथा उनसे ट्रॉफी युवक अवश्य विजेता इन्हीं उन्हें प्रशंसन का युवक नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की भेजी में अनुसूचित जारी अनु जनजाति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यस्तुत्तरक, विकलांग वित्तिकार तथा सामान्य भेजी के परिवार जिनकी आय 2,00,000/- लप्पा प्रतिवर्ष कम होना को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय ने नर्सरी/कोड जी० जी० अवश्य जन्मामिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं चातुरा/विजय सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित इमांत्रण में अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के मध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/कोड जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आदास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक सुनी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे तो गई आवेदन युवक की संखि का ५० प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
5. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सौ० बी० एस० ई० नई दिल्ली अपने स्तर से जैव कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।
6. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि सदर्भित विद्यालय के द्वारा अपनी सहभागि के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उत्तरोत्तर प्रीस्पेल्ट्स एवं पेक्साईट में करना होगा। शर्तों के उत्तराधिन की विविधता में अनापति प्रगति—पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
7. विभागीय पत्रांक-४६, दिनांक 18/01/2006 द्वारा विजय अवश्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय छुला रहेगा।
8. उपरोक्त तथ्यों के आलोक ने तथा वर्णित शर्तों के आधार पर सुशीला शैक्षणिक संस्थान, रीटी, मधुबनी को सौ० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रगति—पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि विद्यालय एक वर्ष लैटीर प्रशिक्षित विद्यालय की संवेदन ने वृद्धि के साथ विद्यालय भवन के कमरों के आकार के सदर्भित सूचना विभाग को उपलब्ध करा देंगे।
- अनुलग्नक :- विजय विभाग पदाधिकारी मधुबनी का जैव प्रतिवेदन संलग्न।

विद्यालय समाप्ति

✓
(दस्तख्त राम)

विजय निदेशक, माध्यमिक विद्या

सामाजिक

दिनांक

प्रतीलिपि : विजय विभाग पदाधिकारी मधुबनी को उनके पत्रांक 1726 दिनांक 15/06/11 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

✓

पत्रांक ५२८

दिनांक 30/06/2011

विजय निदेशक, माध्यमिक विद्या

प्रतीलिपि : प्राचार्य सुशीला शैक्षणिक संस्थान, रीटी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई प्रेषित।

✓
30-6-11
विजय निदेशक, माध्यमिक विद्या

Kishore
Principal

Sushila Educational Institute
Ranti, Madhubani